सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला–अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या –120/2016

पीठासीन अधिकारीः–श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. राधाकिशन पुत्र उंकार
2. गंगाराम पुत्र उंकार

समस्त जाति रेगर निवासीगण भीमड़ावास तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र रामकिशन (दत्तक पुत्र हरजी)
2. रामेश्वर पुत्र रामकिशन
3. कैलाशी पुत्री रामकिशन
4. सणगारी पत्नि हरजी

   समस्त जाति बैरवा निवासीगण भीमडावास उपतहसील कादेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान
5. तहसीलदार उपतहसील कार्यालय कादेडा तह. केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान
6. उपपजीयक उपपजीयन कार्यालय कादेडा तह. केकडी जिला अजमेर राज.

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–02.06.2018

पत्रावली आज केम्पकोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प भीमडावास में पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम भीमडावास तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 395 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 628, 1200, 1725, 1811, 1813, 1814, 1816, 1908/2597, 1909, 2143 किता 10 कुल रकबा 3.88 हैक्ट. भूमि वादीगण, प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी, कब्जेकाश्त, स्वामित्व व आधिपत्य की आराजीयात है। वादवर्णित आराजीयात में वादीगण का 1/3 हिस्सा जो कि जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीदशुदा है जिसका नामान्तकरण स. 855 दिनांक 30.7.2015 को वादीगण के नाम बतौर खातेदार काश्तकार के नाम दर्ज हुआ एवं प्रतिवादी स. 1 लगायत 4 का 2/3 हिस्सा है एवं इसी प्रकार संयुक्त काबिज काश्त एवं खातेदारी में चली आ रही है। प्रतिवादीगण अब वादीगण को उनके हिस्से व कब्जे की आराजीयात से बेदखल करना चाहते है एवं आये दिन वादीगण के हिस्से को लेकर लडाइ झगडा करते रहते है एंव जबरन वादीगण की हिस्से की आराजीयात में घुसकर काश्त करने पर आमादा है। जिसके कारण वादीगण द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजीयात का बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण की हिस्से की आराजीयात में कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें न ही वादीगण को आराजीयात से बेदखल करे।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुये एंव प्रतिवादीगण को तलबी हेतु अन्तिम मौका दिया गया। पत्रावली आज दिनांक लोक अदालत में पेश हुयी। वादीगण उपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होने से वादी का दावा प्राईमा फेसाई केस बनता है तथा वाद का संतुलन वादी के पक्ष मे बनता है।

अतः वादीगण का दावा वाके वाके ग्राम भीमडावास तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 395 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 628, 1200, 1725, 1811, 1813, 1814, 1816, 1908/2597, 1909, 2143 किता 10 कुल रकबा 3.88 हैक्ट. भूमि का मुताबिक जमाबन्दी मे ंदर्ज हिस्से एवं मौके अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजीयात में वादी गण के हिस्से तक किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें, आराजी में पत्थर डालने, खड्डे करने, आराजी को अनउपजाउ बनाने इत्यादी कृत्य नही करें। तहसीलदार केकड़ी को वादग्रस्त आराजी का बंटवारा किये जाने हेतु 500 रूपये फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं मौके अनुसार बटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी